रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072020-220290
CG-DL-E-01072020-220290

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1918] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ़ 10, 1942
No. 1918] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASADHA 10, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2164(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और वाधवा सिंह बब्बर उर्फ चाचा उर्फ बब्बर जिसकी जन्म की तारीख 17 जुलाई, 1954 है, पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम संधू चाथा, थाना सदर, कपूर थला, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन का प्रमुख और मुख्य नेता है;

और बब्बर खालसा इंटरनेशनल को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 1 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

और बब्बर खालसा इंटरनेशनल को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और जापान द्वारा शासकीय रूप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित और अभिहित किया गया है;

और बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना हिंसात्मक साधनों के माध्यम से खालिस्तान नामक पृथक राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी । यह उग्रवाद युग के दौरान संपूर्ण पंजाब राज्य में सक्रिय रहा था और भारत में एवं भारत से बाहर तथा विदेश में भी अनेक बड़े आतंकवादी हमले किए थे;

और वाधवा सिंह बब्बर के संरक्षण में बब्बर खालसा इंटरनेशनल व्यापक रूप से आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए भर्ती अभियानों का जिम्मा अपने ऊपर लेता है और उसकी प्रवचन शाखाएं नियमित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करने तथा भारत के विरुद्ध उनके कार्यों का समर्थन करने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती हैं;

और वाधवा सिंह बब्बर उर्फ चाचा उर्फ बब्बर के संरक्षण में बब्बर खालसा इंटरनेशनल भारत में विभिन्न आतंकवादी हमलों में संलिप्त रहा है जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात् :-

(1) जून, 1985 में एयर इंडिया कनिष्का विमान, उड़ान सं.182 को बम से उड़ाना जिसके परिणामस्वरूप आकाश में वायुयान विस्फोट हुआ था और 329 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी ;

(2) अगस्त, 1995 में चंडीगढ़ में पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह की बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मानव बम द्वारा हत्या जिसमें एक दर्जन से अधिक अन्य कर्मचारिवृंद सदस्य मारे गए थे;

(3) जनवरी, 2004 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादियों का सुरंग खोदकर चंडीगढ़ के बुरेल जेल से भाग जाना;

(4) मई, 2005 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा नई दिल्ली लिबर्टी और सत्यम सिनेमा हालों में बम विस्फोट, जिसके परिणामस्वरूप 40 से अधिक लोगों को चोटें पहुंची थी;

(5) अक्तूबर, 2007 में शिंगर सिनेमा, लुधियाना में बम विस्फोट, जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 35 व्यक्तियों को चोटें पहुंची थी;

(6) जुलाई, 2009 में पटियाला में, यूनाइटेड किंगडम स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दो आतंकवादियों द्वारा राष्ट्रीय सिख संगत के प्रमुख रूल्दा सिंह की हत्या और मई, 2010 में होशियारपुर जिले के स्थानीय डेरा प्रमुख संत प्रधान दास की हत्या में बब्बर खालसा इंटरनेशनल मोडयूल भी संलिप्त था;

और वाधवा सिंह बब्बर उर्फ चाचा उर्फ बब्बर रजिस्ट्रीकृत विभिन्न मामलों में अभियुक्त है और पंजाब पुलिस द्वारा उसका अन्वेषण किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

और वाधवा सिंह बब्बर उर्फ चाचा उर्फ बब्बर के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. ए246/07-1982 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि वाधवा सिंह बब्बर उर्फ चाचा उर्फ बब्बर आतंकवाद में संलिप्त है और वाधवा सिंह बब्बर उर्फ चाचा उर्फ बब्बर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"5. वाधवा सिंह बब्बर उर्फ चाचा उर्फ बब्बर ।"

[फा.सं.17011/16/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2164(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Wadhawa Singh Babbar @ Chacha @ Babbar having date of birth on the 17 July, 1954, S/o Amar Singh, r/o village – Sandhu Chatha, PS Sadar, Kapurthala is chief and key leader of proscribed terrorist organisation of BABBAR KHALSA INTERNATIONAL;

And whereas, BABBAR KHALSA INTERNATIONAL is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 1 ;

And whereas,BABBAR KHALSA INTERNATIONAL is officially banned and designated as International terrorist organization by the United States of America, Canada, United Kingdom and Japan;

And whereas, BABBAR KHALSA INTERNATIONAL was established with an objective to establish a separate State known as Khalistan through violent means. It remained active throughout the State of Punjab during militancy era and executed several major terror attacks in and outside India and also abroad;

And whereas,BABBAR KHALSA INTERNATIONAL under the patronage of Wadhwa Singh Babbar, extensively undertakes recruitment drives for terrorist activities and his preaching wings regularly organise events in order to urge people to promoteterrorism and support their actions against India;

And whereas,BABBAR KHALSA INTERNATIONAL under the patronage of Wadhwa Singh Babbar@ Chacha @ Babbar has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following, namely:-

(1) bombing Air India Kanishka plane flight no. 182 in June, 1985, which resulted in mid-air explosion and death of 329 passengers;

(2) Assassination of Shri Beant Singh, ex-Chief Minister of Punjab, at Chandigarh on August, 1995, through a human bomb of BABBAR KHALSA INTERNATIONAL, in which more than a dozen other staff members had died;

(3) Burail Jail break in Chandigarh by BABBAR KHALSA INTERNATIONAL terrorists by digging a tunnel in January, 2004;

(4) Bomb explosions at Liberty and Satyam Cinema Halls in New Delhi by BABBAR KHALSA INTERNATIONAL causing injuries to above 40 persons in May 2005;

(5) Bomb explosions at Shingar Cinema, Ludhiana, killing 6 persons and causing injuries to 35 in October, 2007;

(6) Killing of Rulda Singh, Chief of Rashtriya Sikh Sagat at Patiala on July, 2009 by two United Kingdom based BABBAR KHALSA INTERNATIONAL terrorists and also a BABBAR KHALSA INTERNATIONAL module was involved in killing of Sant Pradhan Dass, a local Dera Head in district Hoshiarpur in May, 2010;

And whereas,Wadhwa Singh Babbar@ Chacha @ Babbaris accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police and a case registered by National Investigation Agency;

And whereas,Red Corner Notice No. A-246/07-1982 has been issued against Wadhwa Singh Babbar @ Chacha @ Babbar;

And whereas, the Central Government believes that Wadhwa Singh Babbar @ Chacha @ Babbaris involved in terrorism and Wadhwa Singh Babbar@ Chacha @ Babbaris to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"5. Wadhawa Singh Babbar @ Chacha @ Babbar."

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2165 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और लखबीर सिंह उर्फ रोडे जिसकी जन्मतिथि 3 अगस्त 1952 है, पुत्र जागीर सिंह, निवासी गांव-रोडे, पीएस बाधा पुराना, जिला मोगा **अंतरराष्ट्रीय सिक्ख यूथ फेडरेशन** के विहित आतंकवादी संगठन का प्रमुख और मुख्य नेता है;

और **अंतरराष्ट्रीय सिक्ख यूथ फेडरेशन** उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन क्रम सं. 4 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और **अंतरराष्ट्रीय सिक्ख यूथ फेडरेशन** ने यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न स्थानों में इसके शाखाओं को खोला है । हिंसक साधनों के माध्यम से स्वतंत्र राज्य अर्थात् खालिस्तान के रूप में भारतीय राज्य क्षेत्र को काटने की अभिलाषा रखता है;

और लखबीर सिंह उर्फ रोडे पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए सीमा से बाहर भारत में हथियारों और विस्फोटकों को भेजने में सक्रिय रूप से संलिप्त है ;

और पंजाब पुलिस ने विभिन्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटकों को बरामद किया है, पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वे लखबीर सिंह उर्फ रोडे के संपर्क में थे और वे हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों को, रोडे के आग्रह पर भारत भेजते थे जिससे राजनैतिक नेताओं और विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाया जा सके और भीड़ को आंतकित करने के लिए तथा खालिस्तान की प्राप्ति के लिए विध्वंसक गतिविधियां चलाई जा सकें;

और लखबीर सिंह उर्फ रोडे विभिन्न मामलों में अभियुक्त के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और पंजाब पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है;

और लखबीर सिंह उर्फ रोडे के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. ए-23/1-1997 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि लखबीर सिंह उर्फ रोडे आतंकवाद में संलिप्त है और लखबीर सिंह उर्फ रोडे को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती हैं

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"6. लखबीर सिंह रोडे।"

[फा.सं.17011/16/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2165 (E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Lakhbir Singh @Rode having date of birth on the 03August, 1952, S/o Jagir Singh, r/o Village – Rode, PS Bagha Purana, District Moga, is chief and key leader of proscribed terrorist organisation of INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION ;

And whereas, the INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATIONis listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 4;

And whereas,INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION opened its chapters at various places in United Kingdom, Germany, Canada and the United States of America. INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION aspires to carve out of Indian territory as an independent state i.e. Khalistan through violent means;

And whereas, Lakhbir Singh @ Rode is actively engaged in sending weapons and explosives consignments from across the border to India to carry out terrorist activities in Punjab.

And whereas, Punjab Police arrested various accused and recovered arms, ammunition, explosives, who revealed during interrogation that they were in contact with Lakhbir Singh @ Rode and had carried consignments of arms, ammunition and explosives to India at the instance of Rode for subversive activities for the attainment of Khalistan to terrorize the masses and to target various Very Very Important Persons (VVIPs) and political leaders;

And whereas, Lakhbir Singh @ Rode is accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police;

And whereas,Red Corner Notice No. A-23/1-1997has been issued against Lakhbir Singh @ Rode;

And whereas, the Central Government believes thatLakhbir Singh @ Rodeis involved in terrorism and Lakhbir Singh @ Rodeis to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"6. LakhbirSingh @ Rode."

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2166 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्रवाई करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और रणजीत सिंह उर्फ नीता, आयु लगभग 52 वर्ष अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख और मुख्य नेता है;

और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उसकी क्रम संख्या 3 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और रणजीत सिंह उर्फ नीता ने आतंकवादी क्रियाकलापों में सहायता, उनका उत्प्रेरण, नेतृत्व, संचालन और निधिकरण कर रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार स्वापक पदार्थों के साथ आयुधों, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्रियों को भेज रहा है और भारत के विरुद्ध उनकी कार्रवाईयों का समर्थन करता है ;

और रणजीत सिंह उर्फ नीता ने वर्ष 1993 में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की स्थापना की थी और स्वयं उसका प्रमुख बना था । खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से कट्टरता फैलाने के लिए उसके सहबद्धों के साथ पाकिस्तान, युनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैंड, इटली, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाड़ा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेपाल और मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है;

और रणजीत सिंह उर्फ नीता के संरक्षण के अधीन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, भारत में हुए अनेक आतंकवादी हमलों में संलिप्त है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:-

(1) दिसंबर, 1996 में अंबाला के पास झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट;

(2) अप्रैल और जून 1997 में पठानकोट में दो बसों में बम विस्फोट, कई बस यात्रियों की हत्या या क्षति;

(3) जून, 1998 में शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट;

(4) नवंबर, 1999 में पठानकोट के पास पूजा एक्सप्रेस ट्रेन में विस्फोट, 14 व्यक्तियों की हत्या और 42 अन्य को क्षति;

(5) फरवरी, 2000 में सियालदाह एक्सप्रेस में विस्फोट, जिसमें 5 व्यक्तियों की हत्या हुई थी और 4 क्षतिग्रस्त हुए थे;

(6) फरवरी, 2000 में कैलाश गेस्ट हाउस, पहाड़गंज, दिल्ली में विस्फोट, जिसमें 8 व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए थे;

(7) समस्तपुर ग्राम के पास बस विस्फोट, जिसमें 7 व्यक्तियों का हत्या हुई थी और 24 क्षतिग्रस्त हुए थे;

(8) 3 मार्च, 2002 फतहगढ़ साहिब में बस के अंदर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट, जिसमें 8 व्यक्तियों की हत्या हुई थी और 8 व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए थे;

(9) जून, 2001 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर विस्फोट, जिसमें 1 व्यक्ति की हत्या हुई थी और 48 व्यक्तियों को क्षति कारित हुई थी;

(10) सितंबर, 2005 में चंडीगढ़ के अंतर्राज्जीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) में इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट, जिसमें 7 व्यक्तियों को क्षति कारित हुई थी;

(11) जुलाई, 2009 में पटियाला में राष्ट्रीय सिक्ख संगत प्रमुख रुलदा सिंह पर हमला, जो बाद में क्षतियों से मर गया था । जिसकी योजना रणजीत सिंह उर्फ नीता द्वारा तैयार की गई थी ;

(12) मई, 2009 में वियना (आस्ट्रिया) में गुरुद्वारे के अंदर डेरा सचखंड बालान (जालंधर) के संत रामानंद और संत निरंजनदास पर हमला, जिसमें संत रामानंद की हत्या हुई थी और संत निरंजनदास को गंभीर क्षति पहुंची थी;

और रणजीत सिंह उर्फ नीता पंजाब पुलिस द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित किए जाने वाले विभिन्न मामलों जैसे कि हत्या, आतंकवादी हमलों, जाली भारतीय करेंसी नोटों के नेटवर्क के समर्थन और राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक मामले में अभियुक्त है;

और रणजीत सिंह उर्फ नीता के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं.ए-723/07-2000 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि रणजीत सिंह उर्फ नीता, आतंकवाद में संलिप्त है और रणजीत सिंह उर्फ नीता, को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"7. रणजीत सिंह उर्फ नीता"

[फा. सं. 17011/16/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2166 (E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Ranjeet Singh @ Neeta, aged about 52 years, is chief and key leader of proscribed terrorist organization of KHALISTAN ZINDABAD FORCE;

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 3;

And whereas, Ranjeet Singh @ Neeta has been aiding, abetting, spearheading, operationalizing and funding terrorist activities and pushing in consignments of arms, ammunition, explosives materials laced with narcotics from across the border to promote terrorism and support their actions against India;

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE was established by Ranjeet Singh @ Neeta in 1993 with himself as its Chief. Khalistan Zindabad Force has international presence with its associates in Pakistan, United Kingdom, Switzerland, Italy, Germany, United States of America, Canada, Austria, Belgium, Nepal and Malaysia to carry out radicalisation through social media network;

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE under the patronage of Ranjeet Singh @Neeta has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following,namely:-

(1) Bomb explosion in Jhelum Express train near Ambala in December, 1996;

(2) Bomb explosion in two buses at Pathankot in April and June, 1997, Killing or injuring a number of bus passengers;

(3) Bomb explosion in Shalimar Express Train in June 1998;

(4) Explosion in Pooja Express Train near Pathankot in November, 1999, killing 14 persons and causing injuries to 42 others;

(5) Explosion in Sealdah Express in February, 2000, in which 5 persons killed 4 injured;

(6) Explosion in Kailash Guest House, Paharganj, Delhi on February, 2000, in which 8 persons were injured;

(7) Explosion in bus near village Samastpur, in which 7 persons were killed and 24 injured;

(8) Improvised Explosive Device (IED) explosion in a bus in Fatehgarh Sahib on 3rd March, 2000, in which 8 persons were killed and 8 persons were injured;

(9) Explosion at Jammu Railway Station in June, 2001, in which 1 person was killed and 48 persons sustained injuries;

(10) Improvised Explosive Device (IED) explosion at Inter-State Bus Terminal(ISBT) Chandigarh in September, 2005 in which 7 persons sustained injuries;

(11) Attack on Rashtriya Sikh Sangat Chief, Rulda Singh at Patiala in July, 2009, who later on succumbed to his injuries. Planning of this was chalked out by Ranjeet Singh @ Neeta;

(12) Attack on SantRamanand and SantNiranjan Das of DeraSachkhand Ballan (Jalandhar) at a Gurudwara in Vienna (Austria) in May, 2009, killing SantRamanand and seriously injuring SantNiranjan Das;

And whereas,Ranjeet Singh @ Neeta is accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police like murder, terror attacks, support to Fake Indian Currency Notes network and a case registered by National Investigation Agency;

And whereas,Red Corner Notice No. A-723/07-2000has been issued against Ranjeet Singh @ Neeta;

And whereas, the Central Government believes that Ranjeet Singh @ Neetais involved in terrorism and Ranjeet Singh @ Neeta is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"7. Ranjeet Singh @ Neeta."

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2167 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और परमजीत सिंह उर्फ पंजवार जिसके जन्म की तारीख 21 अप्रैल, 1960 है पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम तरनतरण पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स के अभिनिष्द्ध आतंकवादी संगठन का मुख्य और प्रमुख नेता है;

और खालिस्तान कमांडो फोर्स पहली अनुसूची के अधीन कम सं. 2 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और परमजीत सिंह उर्फ पंजवार वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में है और वहां से ही संचालन कर रहा है वह पाकिस्तान के नवयुवकों को हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है और हथियारों और गोलाबारूद की पूर्ति और के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीआईपी) को टरगेटिंग करने के लिए पश्चतापवर्ती घुसपैठ में लगा हुआ है और उन्हें आर्थिक वित्त पोषण देता है;

परमजीत सिंह उर्फ पंजवार रेडियो पाकिस्तान पर द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध अल्पसंख्यकों को भड़काने के आशय से अत्यधिक राजद्रोही और पृथक्कतावादी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा था। वह मादकद्रव्यों की तस्करी में भी सक्रिय है और तस्करों और आतंकवादियों के बीच प्रमुख संवाहक है पंजवार की पंजाब में मादक द्रव्यों के व्यापार को बढ़ावा देने तथा नकली भारतीय करेंसियों के प्रचालन में सहभागिता सुप्रमाणित है । उसके संगठन अर्थात् खालिस्तान कमांडो फोर्स द्वारा भूतपूर्व आतंकवादियों, स्लीपर सेलों को और उन अन्य व्यक्तियों, जो जमानत पर है तथा जो भारत विरोधी बलों को साथ अर्तबन्धन बनाने के पक्ष में है, भारत के प्रति विरोधी उन व्यक्तियों को भी जो जमानत पर हैं तथा अन्य फोर्सों को पुन: सक्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं;

और खालिस्तान कमांडो फोर्स, फरवरी, 1986 में हिंसक साधनों या सशसत्र संघर्ष के माध्यम से खालिस्तान बनाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया था । इस संगठन के संचालन का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों के अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए बैंक डकैतियों या फिरौती के लिए अपहरण करने वाले को अंजाम देना था;

और खालिस्तान कमांडो फोर्स, परमजीत सिंह के संरक्षण के अधीन भारत में हुए अनेक आतंकवादी हमलों में संलिप्त है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

(1) जून, 1988 में खालिस्तान कमांडो फोर्स द्वारा कुछ उच्च राजनीतिज्ञ नेता मारे गए थे और अक्तूबर, 1988 में बम विस्फोट भी किया गया था;

(2) इस समूह ने फिरोजपुर में 10 राय सिक्खों को मारा;

(3) इस समूह ने मेजर जनरल बी.एन. कुमार की चेयरमेन भाखरा बेस मैनेजमेंट बोर्ड, चंडीगढ़, राजन बेंस पुत्र श्री गोर्विंद राम, आईपीएस और थापर इंजीनियरिंग कॉलेज, पटियाला के 18 छात्रों की हत्या की थी;

(4) खालिस्तान कमांडो फोर्स मॉड्यूल 1988 और 1999 के संगीन बम विस्फोट के लिए उत्तरदायी था;

(5) पंजाब पुलिस ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के अनेक मॉड्यूल्स नष्ट किए और अनेक अभियुक्तों को गिरफ्तार और हथियारों, गोला-बारुदों, विस्फोटकों को बरामद किया, जिसका उद्देश्य खालिस्तान की प्राप्ति के लिए

आतंकवादी गतिविधियों को फैला कर जनता को आतंकित करना और विभिन्न अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (बी वी आई पी) और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाना था ।

और परमजीत सिंह उर्फ पंजवार पंजाब पुलिस द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित किए जाने वाले अनेकों मामलों में अभियुक्त हैं;

और परमजीत सिंह उर्फ पंजवार के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. ए-461/09-1995 जारी किया गए हैं;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि परमजीत सिंह उर्फ पंजवार आतंकवाद में संलिप्त है और परमजीत सिंह उर्फ पंजवार को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"8. परमजीत सिंह उर्फ पंजवार"।

[फा.सं. 17011/16/2020 सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2167 (E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Paramjit Singh @ Panjwar having date of birth on the 21st April, 1960, S/o Kashmir Singh, r/o village Panjwar, Taran Taranis chief and key leader of proscribed terrorist organization ofKHALISTAN COMMANDO FORCE ;

And whereas, KHALISTAN COMMANDO FORCEis listed as a terrorist organisation under the First Schedule to thesaidAct at serial number2 ;

And whereas, Paramjit Singh @ Panjwar is presently based at Lahore in Pakistan and operating from there. He has been arranging arms training to youths in Pakistan and remained engaged in supplying of arms and ammunition and subsequent infiltration into India for targeting Very Important Persons (VIPs) and economic installations ;

And whereas,Paramjit Singh @ Panjwar had been broadcasting highly seditious and separatist programmes on Radio Pakistan, intended to incite the minorities against the Government of India. He also remained active in smuggling of drugs and is a major conduit between smugglers and terrorists. Panjwar's complicity in promoting drug trade and Fake Indian Currency Notes operation in Punjab are well documented. Efforts are being made by his organisation i.e. KHALISTAN COMMANDO FORCE, to reactive former militants, sleeper cells and also those on bail and has been in favour of forming nexus with other forces hostile to India;

And whereas, KHALISTAN COMMANDO FORCE came into existence in February, 1986 with an objective to create Khalistan through violent means / armed struggle. The modus-operandi of this organisation was to commit bank robberies / kidnappings for ransom for use to purchase sophisticated weapons for terrorist activites ;

IndiaCode

And whereas,KHALISTAN COMMANDO FORCE under the patronage of Paramjit Singh Panjwar has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following,namely:-

(1) In June, 1988, KHALISTAN COMMANDO FORCE had killed some top political leaders and also exploded a bomb in October, 1988;

(2) This group killed 10 Rai Sikhs at Firozpur;

(3) This groups was also responsible for killing of Major Gen. B. N. Kumar, Chairman Bhakra Beas Management Board, Chandigarh, RajanBains, S/o Sh. Gobind Ram, IPS and 18 students at Thappar Engineering College, Patiala;

(4) KHALISTAN COMMANDO FORCE module was responsible for series of bomb blasts in 1998 and 1999;

(5) Punjab Police busted several modules of KHALISTAN COMMANDO FORCE and arrested various accused and recovered arms, ammunition, explosives, meant for subversive activities for the attainment of Khalistan to terrorize the masses and to target various Very Very Important Persons (VVIPs) and political leaders;

And whereas,Paramjit Singh @ Panjwaris accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police;

And whereas,Red Corner Notice No. A-461/09-1995has been issued against Paramjit Singh @ Panjwar;

And whereas, the Central Government believes that Paramjit Singh @ Panjwaris involved in terrorism and Paramjit Singh @ Panjwaris to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"8. Paramjit Singh @ Panjwar".

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2168 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्रवाई करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है ;

और भूपेन्द्र सिंह भिंडा, जिसके जन्म की तारीख 16 जनवरी, 1975 है, अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का एक प्रमुख सदस्य है ;

और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उसकी क्रम संख्या 3 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और भूपेन्द्र सिंह भिंडा वर्तमान में जर्मनी निवासी है । भूपेन्द्र सिंह भिंडा, डेरा राधास्वामी, सेक्ट बीस, अमृतसर की वियना, ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान उन्हें निशाना बनाने के षडयंत्र के संबंध में जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था । उसे चार वर्ष और तीन मास का दंडादेश दिया गया था ;

और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से कट्टरता फैलाने के लिए उसके सहबद्धों के साथ पाकिस्तान, युनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैंड, इटली, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाड़ा, ऑस्ट्रिया, वेल्जियम, नेपाल और मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है ;

और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, भारत में हुए अनेक आतंकवादी हमलों में संलिप्त है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:-

(1) दिसंबर, 1996 में अंबाला के पास झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट ;

(2) अप्रैल और जून 1997 में पठानकोट में दो बसों में बम विस्फोट, कई बस यात्रियों की हत्या या क्षति ;

(3) जून, 1998 में शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट ;

(4) नवंबर, 1999 में पठानकोट के पास पूजा एक्सप्रेस ट्रेन में विस्फोट, 14 व्यक्तियों की हत्या और 42 अन्य को क्षति ;

(5) फरवरी, 2000 में सियालदाह एक्सप्रेस में विस्फोट, जिसमें 5 व्यक्तियों की हत्या हुई थी और 4 क्षतिग्रस्त हुए थे ;

(6) फरवरी, 2000 में कैलाश गेस्ट हाउस, पहाड़गंज, दिल्ली में विस्फोट, जिसमें 8 व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए थे ;

(7) समस्तपुर ग्राम के पास बस विस्फोट, जिसमें 7 व्यक्तियों का हत्या हुई थी और 24 क्षतिग्रस्त हुए थे;

(8) 3 मार्च, 2002 फतहगढ़ साहिब में बस के अंदर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट, जिसमें 8 व्यक्तियों की हत्या हुई थी और 8 व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए थे ;

(9) जून, 2001 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर विस्फोट, जिसमें 1 व्यक्ति की हत्या हुई थी और 48 व्यक्तियों को क्षति कारित हुई थी;

(10) सितंबर, 2005 में चंडीगढ़ के अंतर्राज्जीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) में इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट, जिसमें 7 व्यक्तियों को क्षति कारित हुई थी ;

(11) जुलाई, 2009 में पटियाला में राष्ट्रीय सिक्ख संगत प्रमुख रुलदा सिंह पर हमला, जो बाद में क्षतियों से मर गया था ;

(12) मई, 2009 में वियना (आस्ट्रिया) में गुरुद्वारे के अंदर डेरा सचखंड बालान (जालंधर) के संत रामानंद और संत निरंजनदास पर हमला, जिसमें संत रामानंद की हत्या हुई थी और संत निरंजनदास को गंभीर क्षति पहुंची थी ;

और भूपेन्द्र सिंह भिंडा पंजाब पुलिस द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित किए जाने वाले विभिन्न मामलों जैसे कि हत्या, आतंकवादी हमलों, जाली भारतीय करेंसी नोटों के नेटवर्क के समर्थन और राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक मामले में अभियुक्त है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि भूपेन्द्र सिंह भिंडा आतंकवाद में संलिप्त है और भूपेन्द्र सिंह भिंडा को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"9. भूपेन्द्र सिंह भिंडा"

[फा. सं. 17011/16/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2168 (E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Bhupinder Singh Bhinda, having date of birth on the 16th January, 1975, is one of key member of proscribed terrorist organization of KHALISTAN ZINDABAD FORCE;

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 3 ;

And whereas, Bhupinder Singh Bhinda is presently based in Germany. Bhupinder Singh Bhinda was arrested in Germany in connection with a conspiracy to target Chief of Dera Radhasoami sect, Beas, Amritsar on his visit to Vienna, Austria. He was awarded four years and three months sentence;

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE has international presence with its associates in Pakistan, United Kingdom, Switzerland, Italy, Germany, United States of America, Canada, Austria, Belgium, Nepal and Malaysia to carry out radicalisation through social media network;

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following, namely:-

(1) Bomb explosion in Jhelum Express train near Ambala in December, 1996;

(2) Bomb explosion in two buses at Pathankot in April and June, 1997, Killing or injuring a number of bus passengers;

(3) Bomb explosion in Shalimar Express Train in June 1998;

(4) Explosion in Pooja Express Train near Pathankot in November, 1999, killing 14 persons and causing injuries to 42 others;

(5) Explosion in Sealdah Express in February, 2000, in which 5 persons killed 4 injured;

(6) Explosion in Kailash Guest House, Paharganj, Delhi on February, 2000, in which 8 persons were injured;

(7) Explosion in bus near village Samastpur, in which 7 persons were killed and 24 injured;

(8) Improvised Explosive Device (IED) explosion in a bus in Fatehgarh Sahib on 3rd March, 2000, in which 8 persons were killed and 8 persons were injured;

(9) Explosion at Jammu Railway Station in June, 2001, in which 1 person was killed and 48 persons sustained injuries;

(10) Improvised Explosive Device (IED) explosion at Inter-State Bus Terminal (ISBT) Chandigarh in September, 2005 in which 7 persons sustained injuries;

(11) Attack on Rashtriya Sikh Sangat Chief, Rulda Singh at Patiala in July, 2009, who later on succumbed to his injuries ;

(12) Attack on SantRamanand and SantNiranjan Das of DeraSachkhand Ballan (Jalandhar) at a Gurudwara in Vienna (Austria) in May, 2009, killing Sant Ramanand and seriously injuring SantNiranjan Das;

And whereas,Bhupinder Singh Bhindais accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police like murder, terror attacks, support to Fake Indian Currency Notes network;

And whereas, the Central Government believes that Bhupinder Singh Bhindais involved in terrorism and Bhupinder Singh Bhindais to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"9. Bhupinder Singh Bhinda".

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2169 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्रवाई करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और गुरमीत सिंह बग्गा पुत्र परमजीत सिंह निवासी ग्राम झाज्जी, थाना होशियारपुर, अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का एक प्रमुख सदस्य है;

और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उसकी क्रम संख्या 3 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और गुरमीत सिंह बग्गा वर्तमान में जर्मनी निवासी है । उसे डेरा राधास्वामी, बीस के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लन पर, उनके 24-26 जुलाई, 2010 जर्मनी दौरे के दौरान उन पर आक्रमण करने के षडयंत्र में संलिप्त होने के लिए चार वर्ष का दंडादेश दिया गया है;

और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से कट्टरता फैलाने के लिए उसके सहबद्धों के साथ पाकिस्तान, युनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैंड, इटली, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाड़ा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेपाल और मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है;

और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, भारत में हुए अनेक आतंकवादी हमलों में संलिप्त है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:-

(1) दिसंबर, 1996 में अंबाला के पास झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट;

(2) अप्रैल और जून 1997 में पठानकोट में दो बसों में बम विस्फोट, कई बस यात्रियों की हत्या या क्षति;

(3) जून, 1998 में शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट;

(4) नवंबर, 1999 में पठानकोट के पास पूजा एक्सप्रेस ट्रेन में विस्फोट, 14 व्यक्तियों की हत्या और 42 अन्य को क्षति;

(5) फरवरी, 2000 में सियालदाह एक्सप्रेस में विस्फोट, जिसमें 5 व्यक्तियों की हत्या और 4 क्षतिग्रस्त;

(6) फरवरी, 2000 में कैलाश गेस्ट हाउस, पहाड़गंज, दिल्ली में विस्फोट, जिसमें 8 व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए थे;

(7) समस्तपुर ग्राम के पास बस विस्फोट, जिसमें 7 व्यक्तियों का हत्या हुई थी और 24 क्षतिग्रस्त हुए थे;

(8) 3 मार्च, 2002 फतहगढ़ साहिब में बस के अंदर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट, जिसमें 8 व्यक्तियों की हत्या हुई थी और 8 व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए थे ;

(9) जून, 2001 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर विस्फोट, जिसमें 1 व्यक्ति की हत्या हुई थी और 48 व्यक्तियों को क्षति कारित हुई थी;

(10) सितंबर, 2005 में चंडीगढ़ के अंतर्राज्जीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) में इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट, जिसमें 7 व्यक्तियों को क्षति कारित हुई थी;

(11) जुलाई, 2009 में पटियाला में राष्ट्रीय सिक्ख संगत प्रमुख रुलदा सिंह पर हमला, जो बाद में क्षतियों से मर गया था;

(12) मई, 2009 में वियना (आस्ट्रिया) में गुरुद्वारे के अंदर डेरा सचखंड बालान (जालंधर) के संत रामानंद और संत निरंजनदास पर हमला, जिसमें संत रामानंद की हत्या हुई थी और संत निरंजनदास को गंभीर क्षति पहुंची थी;

और गुरमीत सिंह बग्गा, पंजाब पुलिस द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित किए जाने वाले विभिन्न मामलों जैसे कि हत्या, आतंकवादी हमलों, आयुधों, गोला-बारूद, विस्फोटकों की पूर्ति और राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक मामले में अभियुक्त है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि गुरमीत सिंह बग्गा आतंकवाद में संलिप्त है और गुरमीत सिंह बग्गा को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"10. गुरमीत सिंह बग्गा"

[फा. सं. 17011/16/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2169 (E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Gurmeet Singh Bagga, S/o Paramjit Singh, r/o village Jhajj, PS Tanda, Hoshiarpur is one of key member of proscribed terrorist organization of KHALISTAN ZINDABAD FORCE;

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 3;

And whereas, Gurmeet Singh Bagga is presently based in Germany. He has been awarded 4 years sentence for his involvement in a conspiracy to attack on Chief of Dera Radha Swami, Beas- Baba Gurinder Singh Dhillon during his visit to Germany on 24-26 July, 2010.

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE has international presence with its associates in Pakistan, United Kingdom, Switzerland, Italy, Germany, United States of America, Canada, Austria, Belgium, Nepal and Malaysia to carry out radicalisation through social media network;

And whereas, KHALISTAN ZINDABAD FORCE has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following, namely:-

(1) Bomb explosion in Jhelum Express train near Ambala in December, 1996;

(2) Bomb explosion in two buses at Pathankot in April and June, 1997, Killing or injuring a number of bus passengers;

(3) Bomb explosion in Shalimar Express Train in June 1998;

(4) Explosion in Pooja Express Train near Pathankot in November, 1999, killing 14 persons and causing injuries to 42 others;

(5) Explosion in Sealdah Express in February, 2000, in which 5 persons killed 4 injured;

(6) Explosion in Kailash Guest House, Paharganj, Delhi on February, 2000, in which 8 persons were injured;

(7) Explosion in bus near village Samastpur, in which 7 persons were killed and 24 injured;

(8) Improvised Explosive Device (IED) explosion in a bus in Fatehgarh Sahib on 3rd March, 2000, in which 8 persons were killed and 8 persons were injured;

(9) Explosion at Jammu Railway Station in June, 2001, in which 1 person was killed and 48 persons sustained injuries;

(10) Improvised Explosive Device (IED) explosion at Inter-State Bus Terminal (ISBT) Chandigarh in September, 2005 in which 7 persons sustained injuries;

(11) Attack on Rashtriya Sikh Sangat Chief, Rulda Singh at Patiala in July, 2009, who later on succumbed to his injuries;

(12) Attack on SantRamanand and SantNiranjan Das of DeraSachkhand Ballan (Jalandhar) at a Gurudwara in Vienna (Austria) in May, 2009, killing Sant Ramanand and seriously injuring SantNiranjan Das;

And whereas,Gurmeet Singh Baggais accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police like murder, terror attacks, supply of arms, ammunition, explosivesand a case registered by National Investigation Agency;

And whereas, the Central Government believes that Gurmeet Singh Baggais involved in terrorism and Gurmeet Singh Baggais to be notified as a terrorist under the said Act;

IndiaCode

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"10. Gurmeet Singh Bagga."

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2170 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और गुरपतवंत सिंह पन्नुन, पुत्र स्वर्गीय मोहिंदर सिंह पन्नुन, जो मूलतःखानकोट, पी एस रामबाघ, अमृतसर शहर का निवासी है, ने "सिक्खों के लिए न्याय" बनाया था और वे इस संगठन के अटोर्नी विधि और विधिक सलाहकार हैं। "सिक्खों के लिए न्याय" को उक्त अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा विधिविरुद्ध सगंठन घोषित किया गया है;

और गुरपतवंत सिंह पन्नुन "जनमत-संग्रह 2020" का नेतृत्व कर रहा है । वह सक्रिय रूप से यूनाइटेड किंगडम स्थित परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, बब्बर खालसा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, कनाडा निवासी हरदीप सिंह उर्फ निज्जार (खालसा टाइगर फोर्स) और मलकित सिंह फौजी (अंतरराष्ट्रीय सिख यूथ फेडरेशन/अंतरराष्ट्रीय बब्बर खालसा) और अनेक विदेशी पंजाब निवासी रूढ़वादियों के सक्रिय संपर्क में पाया गया है;

और गुरपतवंत सिंह पन्नुन पंजाब आधारित गैंगस्टर और युवाओं को स्वतंत्र खालिस्तान राज्य के लिए लड़ने हेतु अपील और प्रचार कर रहा है, देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को चुनौती दे रहा है । उसने एक पृथक खालिस्तान राज्य की मांग की है और उसका पक्षपोषण कर रहा है;

और गुरपतवंत सिंह पन्नुन जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा है, खालिस्तान जनमत-संग्रह 2020 में भाग लेने के लिए युवाओं को उकसा रहा है और दुष्प्रेरित कर रहा है और उस क्षेत्र में शांति में विघ्न डालने के लिए हिंसा या डर उत्पन्न करने के लिए युवाओं की वित्तीय सहायता कर रहा है;

और गुरपतवंत सिंह पन्नुन कई वादों में अभियुक्त के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और जनमत-संग्रह 2020 के संबंध में पंजाब पुलिस अन्वेषण कर रही है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया हैं;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि गुरपतवंत सिंह पन्नुन आतंकवाद में संलिप्त है और गुरपतवंत सिंह पन्नुन को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है,

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"11. गुरपतवंत सिंह पन्नुन।"

[फा.सं.17011/16/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2170 (E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Gurpatwant Singh Pannun, S/o Late Mohinder Singh Pannun, originally r/o Khankot, PS Rambagh, Amritsar City, formed "SIKHS FOR JUSTICE" and is Attorney, Law and Legal Advisor of this Organisation. "SIKHS FOR JUSTICE' has been declared as Unlawful Association by the Government of India, under the said Act;

And whereas, Gurpatwant Singh Pannun is spread heading a campaign "Referendum 2020". He has been found actively in touch with United Kingdom based Paramjit Singh @ Pamma, a BABBAR KHALSA INTERNATIONAL terrorist, Canada based Hardeep Singh @ Nijjar (KHALISTAN TIGER FORCE) and Malkit Singh Fauji (INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION / BABBAR KHALSA INTERNATIONAL) and several overseas Punjab based Hardliners ;

And whereas, Gurpatwant Singh Pannun has been issuing appeals and propagating through social media regularly to Punjab based gangsters and youth to fight for the cause of independent state of Khalistan, challenging the sovereignty, integrity and security of the country He has demanded and advocating a separate State, Khalistan ;

And whereas, Gurpatwant Singh Pannun, presently residing in United States of America, is instigating and abetting youths to join them in Khalistan Referendum 2020 and providing financial help to youths in region for creating violence or fear to disturb peace in the region ;

And whereas, Gurpatwant Singh Pannun is accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police related to Referendum 2020 and a case registered by National Investigation Agency;

And whereas, the Central Government believes that Gurpatwant Singh Pannunis involved in terrorism and Gurpatwant Singh Pannun is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"11. Gurpatwant Singh Pannun."

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2171(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे अनुषंगी विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और हरदीप सिंह निज्जर जिसके जन्म की तारीख 11 अक्तूबर, 1977 है, पुत्र प्यारा सिंह, निवासी ग्राम भार सिंह पुरा, जालंधर, खालिस्तान टाईगर फोर्स का प्रमुख है और खालिस्तान टाइगर फोर्स का मॉड्यूल सदस्यों के कार्य करने में, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और वित्तपोषण में सक्रिय रूप से संलिप्त है;

और हरदीप सिंह निज्जर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत मामलों में अभियुक्त है । अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ था कि उसके द्वारा विद्रोही अभ्यारोपण और धृणात्मक भाषणों का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपराध में फंसाने वाले कथन या पोस्ट या फोटो या वीडियो पोस्ट की गई थी। इस प्रकार एकत्रित अभिशंशी साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि वह देशद्रोही और विद्रोही अभिप्रेरणों को प्रोत्साहित करने में संलिप्त है और भारत में भिन्न-भिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने का प्रयास भी कर रहा है;

और हरदीप सिंह निज्जर, अनेकों मामलों में रजिस्ट्रीकृत अभियुक्त है और पंजाब पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है ;

और पंजाब पुलिस द्वारा हरदीप सिंह निज्जर के विरुद्ध और पुलिस थाना कोतवाली पटियाला की मामला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 159 में विद्यमान आर सीएन सं. 9036/2014 के साथ पीएस नुरपुर रोपड़ के मामला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 19 में संबद्ध आरसीएननं. ए-9131/10-2016 जारी की गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हरदीप सिंह निज्जर आतंकवाद में संलिप्त है और हरदीप सिंह निज्जर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"12. हरदीप सिंह निज्जर।"

[फा.सं. 17011/16/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2171(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Hardeep Singh Nijjar having date of birth on the 11th October, 1977, S/o Piara Singh, r/o village Bhar Singh Pura, Jalandhar, is chiefof KHALISTAN TIGER FORCE, and is actively involved in operationalizing, networking, training and financing KHALISTAN TIGER FORCE module members ;

And whereas, Hardeep Singh Nijjar is accused in a case registered by the National Investigation Agency. During the course of investigation, it was revealed that there were incriminating statements or posts or photos or videos posted by him using social media platforms to spread insurrectionary imputations and hateful speeches. The incriminating evidence thus gathered substantiates that he is involved in exhorting seditionary and insurrectionary imputations and also attempting to create disharmony among different communities in India ;

And whereas, Hardeep Singh Nijjar is accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police;

And whereas,Linked RCN No. A-9131/10-2016 in case FIR No. 19 of PS Nurpur, Ropar with existing RCN No. A-9036/11-2014 in case FIR No. 159 of PS Kotwali Patiala has been issued against Hardeep Singh Nijjar by the Punjab Police ;

And whereas, the Central Government believes that Hardeep Singh Nijjar is involved in terrorism and Hardeep Singh Nijjar is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 11 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"12. Hardeep Singh Nijjar."

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2172 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने और उससे संबंधित विषयों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क), केन्द्रीय सरकार को किसी व्यष्टि के नाम को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है;

और परमजीत सिंह उर्फ पम्मा जिसकी जन्म की तारीख 31 दिसंबर, 1974 है, पुत्र श्री अमरीक सिंह, निवासी ग्राम भक्कू माजरा, थाना चमकौर साहिब, रूप नगर, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के अभिनिषिद्ध आतंकवादी संगठन का प्रमुख और मुख्य नेता है;

और बब्बर खालसा इंटरनेशनल को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 1 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

और बब्बर खालसा इंटरनेशनल को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और जापान द्वारा शासकीय रूप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित और अभिहित किया गया है;

और बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना हिंसात्मक साधनों के माध्यम से खालिस्तान नामक पृथक राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी । यह उग्रवाद युग के दौरान संपूर्ण पंजाब राज्य में सक्रिय रहा था और भारत में एवं भारत से बाहर तथा विदेश में भी अनेक बड़े आतंकवादी हमले किए थे;

और वाधवा सिंह बब्बर के संरक्षण में बब्बर खालसा इंटरनेशनल व्यापक रूप से आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए भर्ती अभियानों का जिम्मा अपने ऊपर लेता है और उसकी प्रवचन शाखाएं नियमित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करने तथा भारत के विरुद्ध उनके कार्यों का समर्थन करने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती हैं;

और बब्बर खालसा इंटरनेशनल भारत में विभिन्न आतंकवादी हमलों में संलिप्त रहा है जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात् :-

(1) जून, 1985 में एयर इंडिया कनिष्का विमान, उड़ान सं.182 को बम से उड़ाना जिसके परिणामस्वरूप आकाश में वायुयान विस्फोट हुआ था और 329 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी ;

(2) अगस्त, 1995 में चंडीगढ़ में पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह की बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मानव बम से हत्या जिसमें एक दर्जन से अधिक अन्य कर्मचारिवृंद सदस्य मारे गए थे;

(3) जनवरी, 2004 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादियों का सुरंग खोदकर चंडीगढ़ के बुरेल जेल से भाग जाना;

(4) मई, 2005 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा नई दिल्ली लिबर्टी और सत्यम सिनेमा हालों में बम विस्फोट जिसके परिणामस्वरूप 40 से अधिक लोगों को चोटें पहुंची थी ;

(5) अक्तूबर, 2007 में शिंगर सिनेमा, लुधियाना में बम विस्फोट जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 35 व्यक्तियों को चोटें पहुंची थी;

(6) जुलाई, 2009 में पटियाला में, यूनाइटेड किंगडम स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दो आतंकवादियों द्वारा राष्ट्रीय सिख संगत के प्रमुख श्री रूल्दा सिंह की हत्या और मई, 2010 में होशियारपुर जिले के स्थानीय डेरा प्रमुख संत प्रधान दास की हत्या में बब्बर खालसा इंटरनेशनल मोडयूल भी संलिप्त था;

और परमजीत सिंह उर्फ पम्मा रजिस्ट्रीकृत विभिन्न मामलों में अभियुक्त है और पंजाब पुलिस द्वारा उसका अन्वेषण किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

और परमजीत सिंह उर्फ पम्मा के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस सं. ए2943/4-2012 जारी किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि परमजीत सिंह पम्मा आतंकवाद में संलिप्त है और परमजीत सिंह उर्फ पम्मा को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"13. परमजीत सिंह उर्फ पम्मा ।"

[फा.सं.17011/16/2020-सीटी-1]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2172(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Paramjit Singh @ Pamma having date of birth on the 31st December, 1974, S/o Amrik Singh, r/o village Bhakku Majra, PS Chamkaur Sahib, Roopnagar, is chief and key leader of proscribed terrorist organisation of BABBAR KHALSA INTERNATIONAL;

And whereas, BABBAR KHALSA INTERNATIONALis listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 at serial number1;

And whereas, BABBAR KHALSA INTERNATIONAL is officially banned and designated as International terrorist organization by the United States of America, Canada, United Kingdom and Japan;

And whereas, BABBAR KHALSA INTERNATIONAL was established with an objective to establish a separate State known as Khalistan through violent means. It remained active throughout the state of Punjab during militancy era and executed several major terror attacks in and outside India and also abroad;

And whereas, BABBAR KHALSA INTERNATIONAL under the patronage of Wadhwa Singh Babbar, extensively undertakes recruitment drives for terrorist activities and his preaching wings regularly organise events in order to urge people to promoteterrorism and support their actions against India;

And whereas, BABBAR KHALSA INTERNATIONAL has been involved in various terrorist attacks in India, which include the following, namely:-

(1) bombing Air India Kanishka plane flight no. 182 in June, 1985, which resulted in mid-air explosion and death of 329 passengers;

(2) Assassination of Shri Beant Singh, ex-Chief Minister of Punjab, at Chandigarh on August, 1995, through a human bomb of BABBAR KHALSA INTERNATIONAL, in which more than a dozen other staff members had died;

(3) Burail Jail break in Chandigarh by BABBAR KHALSA INTERNATIONAL terrorists by digging a tunnel in January, 2004;

(4) Bomb explosions at Liberty and Satyam Cinema Halls in New Delhi by BABBAR KHALSA INTERNATIONAL causing injuries to above 40 persons in May 2005;

(5) Bomb explosions at Shingar Cinema, Ludhiana, killing 6 persons and causing injuries to 35 in October 2007;

(6) Killing of Rulda Singh, Chief of Rashtriya Sikh Sagat at Patiala on July, 2009 by two United Kingdom based BABBAR KHALSA INTERNATIONAL terrorists and also a BABBAR KHALSA INTERNATIONAL module was involved in killing of Sant Pradhan Dass, a local Dera Head in district Hoshiarpur in May, 2010;

And whereas,Paramjit Singh @ Pammais accused in various cases registered and being investigated by the Punjab Police and a case registered by National Investigation Agency;

And whereas,Red Corner Notice No. A-2943/4-2012has been issued against Paramjit Singh @ Pamma;

And whereas, the Central Government believes that Paramjit Singh Pammais involved in terrorism and Paramjit Singh @ Pammais to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 12 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"13. ParamjitSingh @Pamma."

[F.No. 17011/16/2020-CT-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.01 17:34:35 +05'30